

राजस्थान सरकार
 न्यायालय भूअभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बनेडा जिला - भीलवाड़ा
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट) केम्प
 काशीपुरिया

:- आदेश :-

प्रार्थी के खाला दुरस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी काशोर्गिया..... व भू.अ.नि. 57कस्ता... की रिपोर्ट तथा तहसीलदार बनेडा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू- राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम काशोर्गिया..... तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा ग्री जमाबन्दी सम्बन्ध 25/10/23 में खाला संख्या 114..... में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरमद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाला संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जानी है)
		114	डी.क. व.प.	डी.क. व.प.

(रतनबाबू सेगर)
 पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट
 भूअभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी)
 बनेडा जिला - भीलवाड़ा

क्रमंक :- 472 / 18

दिनांक :- 18 / 5 / 18

प्रतिनिधि :-

1. तहसीलदार बनेडा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरमद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजावारे ।
2. प्रार्थी श्री मन्नी सिंह शर्मा व.पी. सीराम के सूचनार्थ ।
3. रक्षित पत्रावली

(अमल सेगर)
 पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट
 भूअभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी)
 बनेडा जिला - भीलवाड़ा